



2026:AHC:58981

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या
- 2362 सन 2026

संजीव कुमार यादव एवं एक अन्यआवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता : नेहा खान, तरन्नुम

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. आवेदकगण की विद्वान अधिवक्ता सुश्री तरन्नुम, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री उमाशंकर मिश्र को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. प्रस्तुत आवेदन वाद अपराध संख्या 336 सन 2023 में, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अंतर्गत, थाना- अली नगर, जनपद- चंदौली से संबंधित है, जिसमें गिरफ्तारी की दशा में आवेदकगण को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए अग्रिम जमानत का निवेदन किया गया है।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी निवेदित किया गया कि गैंग-चार्ट में उनके विरुद्ध दर्शाए गए एकमात्र मुकदमे में वे पहले से ही जमानत पर हैं। यह भी कहा गया कि उपर्युक्त के अतिरिक्त, आवेदकगण के विरुद्ध कोई अन्य मुकदमा पंजीकृत नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे तथा अन्वेषण अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उपस्थित होंगे। यह कहा गया कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अन्वेषण में सहयोग करेंगे तथा जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. यह स्पष्ट है कि गैंग-चार्ट में उनके विरुद्ध दर्शाए गए एकमात्र मुकदमे में आवेदकगण जमानत पर हैं तथा इसके अतिरिक्त उनके विरुद्ध कोई अन्य मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

6. यह उल्लेखनीय है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के न्याय से पलायन की संभावना तथा अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, और अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. वर्तमान प्रकरण में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन, आवेदकगण की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का एक उपयुक्त मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त वाद अपराध में गिरफ्तारी की दशा में, आवेदकगण- संजीव कुमार यादव एवं सुधीर सिंह को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों सहित अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदकगण साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे;

(ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

(iii) आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदकगण संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन को आवेदकगण को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त कराए जाने हेतु उपयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026
रमा कान्त

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"